



अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम ईस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा ... २० ... थाना नं० ३० ... खाता नं० १९८ ... प्लॉट ६८३५ ... रकवा १.८८९ ... गत सर्वे खतियान में रैयती/आबाद आर्किव/गैरआबाद-मालिक दर्ज है। विक्रेता खतियानी रैयत के वंशज/उत्ताधिकारी है, विक्रेता को प्रश्नगत भूमि निबंधित दस्तावेज संख्या ... के द्वारा क्रय के आधार पर प्राप्त है।

आवेदित भूमि की जमाबंदी पंजी ॥ के जमाबंदी संख्या १६१११ में विक्रेता २३६११५ ... के नाम से चल रही है। क्रेता ने प्रश्नगत भूमि को वाला नं० ३२५ ... दिनांक २३/६/१४ ... द्वारा क्रय किया है। विक्रेता ने अपने हक वो हिस्सा की भूमि बिक्री की है।

हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर क्रेता का खरीदगी पश्चात् दखल कब्ज है। उक्त नामांतरण से संबंधित आवेदित भूमि वन सीमा/सैरात/भूदान/भूहदबन्दी/गैरआबाद/आदिवासी/बी०एस०एल० अधिग्रहण से बाहर है। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने क्रेता के नाम से नामांतरण की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया है।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि

| मौजा व थान नं० | खाता नं० | प्लॉट नं० | रकवा | लगान | प्र० लगान | अलावे सेस |
|----------------|----------|-----------|-------|------|-----------|-----------|
| २० ३० | १९८ | ६८३५ | १.८८९ | ०.२० | ५.० | |

आवेदक श्री/श्रीमती मंजू खर्मा
पति/पति सुरेंद्र कुमार के नाम से नामांतरण की २३/६/१४ दी जाती है। तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें। हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि शुद्धि-पत्र के आलोक में पंजी ॥ में आवश्यक इन्दाज कर शुद्धि पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराएँ।

05/08/15
मिलान सिंह

मिलान सिंह

अंचल अधिकारी
चास

सिवाय अतिरिक्त नकदी कागज

सदाम बहालक
कमिश्नर १८७१ की बाएर ३३
ई० नदीम प्राधिकृत
केंद्र कार्यालय
कला १, कलाकला

कृष्ण का पत्र
१६-१५-१५